प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है एवं तहसीलदार डेह को भी प्रतिवादी पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। पक्षकारान द्वारा मौजा कमेड़िया तहसील डेह का खेत खसरा नम्बर 288 रकबा 8.4579 हैक्टेयर में नजरी नक्शा के मार्क ए स बी 682 फुट लम्बाई 15 फुट चौड़ाई का रास्ता एवं मार्क बी से सी 475 फुट लम्बाई व 15 फुट चौड़ाई का रास्ता कुल रास्ते का रकबा 0.1619 हैक्टेयर आवागमन हेतु सरकार के पक्ष में रहेगा। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 व 4 ने उक्त खेतान से अपना सम्पूर्ण हिस्से का त्याग कर रहे है एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया है। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि तहसीलदार डेह के पास जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88 के तहत स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी नम्बर 1 चंन्द्रप्रकाश सारण के कब्जा काश्त एवं बंट में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नम्बर 288 रकबा 8.4579 हैक्टेयर में से 4.1480 हैक्टेयर पश्चिमि हिस्सा नजरी नक्शानुसार एवं खसरा नम्बर 235/1 रकबा 1.9587 हैक्टेयर में से 0.4856 हैक्टेयर पश्चिमि हिस्सा नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. वादी नम्बर 2 सुरेश सारण के कब्जा काश्त एवं बंट में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नम्बर 235/1 रकबा 1.9587 हैक्टेयर में से 0.9875 हैक्टेयर हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा नजरी नक्शानुसार एवं खसरा नम्बर 918/273 रकबा 0.4046 हैक्टेयर पूरा व खसरा नम्बर 919/273 रकबा 3.6424 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 मनीष सारण के कब्जा काश्त एवं बंट में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नम्बर 288 रकबा 8.4579 हैक्टेयर में से 4.1480 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा नजरी नक्शानुसार एवं खसरा नम्बर 235/1 रकबा 1.9587 हैक्टेयर में से 0.4856 हैक्टेयर वादी नम्बर 1 व वादी नम्बर 2 के मध्य नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा कि जाती है।
4. प्रतिवादी संख्या 5 तहसीलदार डेह के नाम रास्ते के लिए मौजा कमेड़िया तहसील डेह का खेत खसरा नम्बर 288 रकबा 8.4579 हैक्टेयर में नजरी नक्शा के मार्क ए स बी 682 फुट लम्बाई 15 फुट चौड़ाई का रास्ता एवं मार्क बी से सी 475 फुट लम्बाई व 15 फुट चौड़ाई का रास्ता कुल रास्ते का रकबा 0.1619 हैक्टैयर नजरी नक्शानुसार घोषित किया जाकर राज: हक में खातेदारी की घोषणा कि जाती है।
5. प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 व 4 क्रमशः कानाराम, सुशिला व लक्ष्मी के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।

माफिक वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।

3

(ह.) [illegible]